न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—243/2024/39 नियम 2 (अ) दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908

1. ग्राम पंचायत चाचियावास पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण तहसील व जिला अजमेर जरिए सरपंच।

अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र नानू
2. लादू पुत्र नानू
   दोनों जाति गुर्जर, निवासी ग्राम हारडा की ढाणी पदमपुरा तहसील व जिला अजमरे।

रेस्पोडेंट्स

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (अ) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908.

उपस्थितः—

1. श्री गौतमचंद टांक, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः—30.06.2025

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 307/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक राजस्व अपील संख्या—307/2023 उनवान ग्राम पंचायत चाचियावास बनाम लक्ष्मण वगैराह अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण के द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध दिनांक 12.10.2023 को प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने दिनांक 30.01.2024 को अपीलांट को प्राथमिक आपत्ति व स्थगन आदेश पर सुनते हुए अपने आदेश में पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को यथावत रखते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि आगामी तीन सप्ताह में दोनों पक्षों को अपने अपने स्तर पर सीमाज्ञान करवाकर न्यायालय में उचित सुनवाई का अवसर देकर 212 के प्रार्थना पत्र में अंतिम निस्तारण करे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 307/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 की अवमानना किए जाने से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस/प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील टी.ए. सख्या 307/2023 बउनवानी ग्राम पंचायत बनाम लक्ष्मण वगैरह मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। उक्त अपील में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.1.2024 को विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है लेकिन उक्त स्थगन आदेश के

प्रभावी होने के बावजूद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 177/1579 तथा 178/1577 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से आगे खसरा नम्बर 177/1579 के आगे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक डलवा कर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जबकि न्यायालय द्वारा ताफैसला सीमाज्ञान तथा सीमा से विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक के लिए वहां मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है जो आज भी प्रभावी है फिर भी वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार अजमेर के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए बिना ही तथा सीमाज्ञान हेतु उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही बिना सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट कारित किए बिना ही न्यायालय के आदेश दिनांक 30.1.2024 की पालना किए बिना ही न्यायालय के स्थगन आदेश की घोर अवमानना व अवहेलना कर रास्ते को रोक दिया है तथा उस पर पत्थर डाल दिये हैं जो कि न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना में श्रेणी में आने से अप्रार्थीगण दण्ड के भागी है। न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश आज दिन तक न्यायालय द्वारा खारिज अथवा वैकेट नहीं किया गया है अर्थात् उक्त आदेश आज दिन तक प्रभावी है। फिर भी अप्रार्थीगण ने न्यायालय के स्थगन आदेश की जानबूझ कर अवहेलना व अवमानना कारित करते हुए रास्ते की भूमि को अवरूद्ध कर दिया है जो न्यायालय के आदेश की स्पष्ट एवं खुली अवहेलना की तारीफ में आने से अप्रार्थीगण कठोर दण्ड से दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थीगण ने न्यायालय के स्पष्ट स्थगन आदेश को नजर अन्दाज कर रास्ते की भूमि को अवरूद्ध कर दिया है तथा पत्थर डलवा दिये हैं जबकि विवादित भूमि के स्वत्व एवं अधिकारों को लेकर न्यायालय के समक्ष अपील है जिससे अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना एवं अवमानना की श्रेणी में आता है। जिसके लिए अप्रार्थीगण कठोर दण्ड के भागी हैं। न्यायालय के आदेशों की अवमानना का यही क्रम चलता रहा, तो आमजन में भी न्यायालय के आदेश के प्रति कोई सम्मान नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की अवमानना कारित करने बाबत अप्रार्थीगण कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (अ) जा0दी0 स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस अवमानना प्रार्थना पत्र में कथन किया कि न्यायालय द्वारा किए गए आदेश दिनांक 30.01.2024 की रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं की गई है। चूंकि विवादित आराजी मुतनाजा के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति के कोई आदेश पारित नहीं किए है बल्कि सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किए थे जिसको न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहे गए कथन झूठे है उनको सत्यापित करने के लिए प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो की न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। सभी खातेदार

काश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रकरण संख्या 307/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 की अप्रार्थी द्वारा पालना नहीं किए जाने से प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 2 (अ) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 की अप्रार्थी द्वारा अवहेलना की गई है व अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 177/1579 तथा 178/1577 किस्म गै0मु0 रास्ता से आगे खसरा नम्बर 177/1579 के आगे पत्थरों से भरा हुआ ट्रक डलवा कर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है।

प्रार्थी द्वारा अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गए कथनों का परीक्षण किया गया तो यह तथ्य दृष्टिगत हुए कि हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है चूंकि उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) द्वारा पारित किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.01.2024 की अवमानना नहीं की गई है चूंकि हाजा न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को यथावत रखा गया था। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(अ) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 किसी भी प्रकार से हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2024 पर पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(अ) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2(अ) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर